न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 912 सन 2019

अनवान :–

1. रामपाल पुत्र श्योनारायण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. नरेश पुत्र रूधवीर जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र रूधवीर जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री रूधवीर जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. धनपत पुत्र बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. पतराम पुत्र श्योनारायण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अभिभाषक, वादी
श्री महेश चन्द्र शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण
निर्णय दिनांक :– 06/05/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 ,88 ,188 के तहत वाद इस आष्य का पेश किया की रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 58/49 की कुल 1.5180हैक भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण का खाता की खातेदारी भूमि चक 7 पीपीएम एवं चक 6 पीपीएम में है जमीन थोडी होने के कारण तथा दादालाई होने के कारण एक दावा धनपत आदि बनाम रमेश आदि वाद संख्या 555/2018 निर्णय दिनांक 12.06.2018 को किया जाकर चक पीपीएम में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा की डिक्री हो चुकी है इजराय की पालना मं चक 7 पीपीएम मे हो गयी ओर चक 6 पीपीएम में नही हो पायी हे इसलिये इनकों फरीक बनाया गया है।

वाद भूमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य बाहमी बटवारा हो चुका है बाहमी बटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 का 2/3 हिस्सा वादी के पास प0न0 116/49 (23) के किला 0न 24 ,25/0.506हैक भूमि आयी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा में प0न0 116/49(23) के किला न0 14 ,15 हिस्सा में आयी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में प0न0 116/49(23) किला न0 16 ,17 की भूमि हिस्सा में आयी है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार मुश्तरका खाते की भूमि का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में में अलग से कायम करवाने के आदेश फरमावे ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य वाद भूमि के सम्बध में

Scanned with CamScanner

बाहमी बटवारा हो चुका है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरानत भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 2 के भाईयो के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 6 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

साक्ष्यवादी में वादी ने शपथ पत्र पेश किया जिरह नही की गई जिससे जिरह शुन्य रही प्रतिवादीगण सांक्ष्य पेश नही करना चाहते है उभयपक्षों को सुना गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वाद भूमि के सम्बध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हो चुका है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है चक 7 पीपीएम की भूमि पूर्व में ही दर्ज करवाई जा चुकी है केवल चक 6 पीपीएम की भूमि दर्ज करवाइ जानी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 ने वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बटवारा हो चुका है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 की मौन अनुमति मानी जा सकती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 , 3 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 58/49 के प0न0 116/49 (23) किला न0 24 ,25 /0.506हैक व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प0न0 116/19(23) के किला न0 16 ,17/0.506हैक तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पास प0न0 116/49 किला न0 14 ,15/0. 506हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामपाल पुत्र श्योनारायण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 नरेश पुत्र रूधवीर जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2 रमेश पुत्र रूधवीर जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3 सुमन पुत्री रूधवीर जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4 धनपत पुत्र बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5 पतराम पुत्र श्योनारायण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 912 सन 2019 निर्णय दिनांक– 06/05/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर बाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 58/49 के प0न0 116/49 (23) किला न0 24 ,25 /0.506हैक व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प0न0 116/19(23) के किला न0 16 ,17/0.506हैक तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पास प0न0 116/49 किला न0 14 ,15/0.506हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/05/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner